कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

कोटेशन -सूचना

एतदद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के अनुमोदन आदेश दिनांकित 29.05.2026 के अनुपालन में जनपद न्यायालय कासगंज के सर्वर कक्ष हेतु Network SWITCH-L3 (CISCO-CATALYST 3850) क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकृत डीलर / फर्मो से पूर्ण विवरण सहित कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। क्रय किये जाने हेतु Network SWITCH-L3 (CISCO-CATALYST 3850) का विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	विवरण	उपकरण की संख्या
1	Network SWITCH-L3 (CISCO-CATALYST 3850)	01 नग

उक्त अधिकृत पंजीकृत डीलर / फर्मो को कोटेशन में दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं।

1- कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत कासगंज में दिनांक 16.06.2026 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे।

2- कोटेशन दिनांक 16.06.2026 को सायंकाल 4.30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायायल, कासगंज के समक्ष खोले जायेगे।

3- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।

4- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

5- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

6- कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

7- भुगतान उक्त Network SWITCH-L3 (CISCO-CATALYST 3850) की आपूर्ति उपरान्त सम्बन्धित अनुभाग से सही प्रकार से कार्य किये जाने की आख्या प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं हेागा।

8- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।

9- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10- कोटेशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

11- सेवा प्रदाता यदि आवश्यक हो तो कार्यालय समय पर न्यायालय उपस्थित होकर नेटवर्क का सर्वे कर कर सकता है।

दिनांक-01.06.2026

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव) 1/6/26
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0- 01
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को शासनादेश सं0-562/उन्नीस-2-2007-1007(T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

2- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

4- समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।

5- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक-01.06.2026

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव) 1/6/26
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0- 01
कासगंज।